न्यायालय, समाहर्ता अंचल, अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा (बोकारो)

B.P.L.E Case No 04 / 2016-17

राज्य - बनाम - भीम महतो ।

18/11/16

श्री असफाक अहमद, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा नर्रा के खाता सं० 130 प्लाट सं० 491, रकबा 1.00 ए० भूमि किस्म परती कदीम एवं मौजा नर्रा के ही खाता नं० 130 प्लाट सं० 475, रकबा 35 डी० भूमि गैर मजरूआ खास खाते की भूमि पर भीम महतो पिता स्व० नारायण महतो द्वारा खलिहान बनाया जा रहा एवं एक साल से उसी भूमि पर करकट की दो कमरा बनाकर चौखट दरवाजा लगा कर रखा है।

उक्त के आलोक में अतिक्रमणकारी को नोटिस क्रमशः दिनांक - 26.10.16, एवं 5.11.16 को नोटिस निर्गत करते हुए अपना पक्ष रखने एवं समस्त कागजातों के साथ उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया । परन्तु इनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस प्रकार अतिक्रमणकारी भीम महतो के द्वारा बार-बार आदेश की अवहेलना किया जा रहा है।

अतः अतिक्रमणकारी भीम महतो पिता - नारायण महतो ग्राम हड़काठ पो० नर्रा थाना चन्द्रपुरा को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु बिहार (झारखण्ड) लोक भूमि अतिक्रमण एक्ट 1956 की धारा-3 के तहत सूचना निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 02.12.2016 को रखें।

02.12.2016 — अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। वादी अनुपस्थित है।
पुनः नोटिस निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक 16.12.2016 को रखें।

(ह०) 02.12.16
अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा

16.12.16 — अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। वादी अनुपस्थित है।
पुनः नोटिस निर्गत करें। अंचल अमीन से मांगी प्रतिवेदन मांगें।
अभिलेख दिनांक 31.12.16 को रखें।

(ह०) 16.12.16
अं० अ०, चन्द्रपुरा

31.12.2016 — अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। वादी अनुपस्थित है।
अंतिम नोटिस निर्गत कर पत्र रखने को कहें। अंचल अमीन से मांगी प्रतिवेदन मांगें।
अभिलेख दिनांक 16.01.2017 को रखें।

(ह०) 31.12.16
अं० अ०, चन्द्रपुरा

16.01.17 — ~~अभिलेख~~ अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त है। वादी अनुपस्थित है।
अंचल अमीन से मांगी प्रतिवेदन अप्राप्त है। मांगी प्रतिवेदन की मांग करें।
अभिलेख दिनांक 30.01.17 को रखें।

(ह०) 16.01.17
अं० अ०, चन्द्रपुरा

30.01.17 — अभिलेख उपस्थापित।
अंचल अमीन से मांगी प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया है कि श्री भीम महतो वल्द - नारायण महतो, ग्राम-नर्ही के द्वारा ईंट द्वारा मकान का निर्माण किया गया है जो मौजा - नर्ही थाना सं०- 88, खाता सं०- 130, प्लाट सं०- 297, रकबा - 0.12 एकड़ है। राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा के माध्यम से संशोधित प्रतिवेदन देकर उपरोक्त वर्णित प्लाट सं०-297 रकबा-0.12 एकड़ भूमि पर अतिक्रमणकारी के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

अतिक्रमण वाद अभिलेख संख्या 04/2016–17

तिथि	आदेश फलक	मंतव्य
06.05.2017	**–:आदेश:–** यह अतिक्रमण वाद राजस्व कर्मचारी, हल्का सं0–III श्री अशफाक अहमद तथा अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा के प्रतिवेदन दिनांक–21.10.2016 के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण उपरान्त आरंभ की गई है। अधोहस्ताक्षरी ने स्थल निरीक्षण उपरान्त पाया कि श्री भीम महतो, पिता– स्व0 नारायण महतो, साकिन– नर्रा, पो0– नर्रा, थाना– चन्द्रपुरा, जिला– बोकारो के द्वारा दो कमरा बनाकर तथा खलिहान लगाकर सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है। राजस्व कर्मचारी, हल्का सं0– 03, श्री असफाक अहमद ने अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा के माध्यम से अतिक्रमण प्रतिवेदन दिया है कि चन्द्रपुरा अंचल अन्तर्गत, मौजा–नर्रा, थाना सं0–88, खाता सं0–130, प्लॉट सं0–297, रकवा–0.12 एकड़ में कमरा तथा खलिहान बनाकर श्री भीम महतो के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अंचल अमीन ने प्रतिवेदन दिया है कि चन्द्रपुरा अंचल अन्तर्गत, मौजा–नर्रा, थाना सं0–88, खाता सं0–130, प्लॉट सं0–297, रकवा–0.12 एकड़ में कमरा तथा खलिहान बनाकर श्री भीम महतो के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, चन्द्रपुरा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमणकारी श्री भीम महतो, पिता–नारायण महतो, साकिन–नर्रा, पो0– नर्रा, थाना–चन्द्रपुरा, जिला– बोकारो को नोटिस निर्गत कर दिनांक–04.03.2017, 18.03.2017, 01.04.2017 एवं 15.04.2017 को पक्ष रखने को कहा गया। लेकिन कई मौका देने के बाद भी वादी ने कोई कागजात या पक्ष पेश नहीं किया। कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमणकारी के द्वारा कोई पक्ष नहीं रखने से उपरोक्त वर्णित भूमि मौजा–नर्रा, थाना सं0–88, खाता सं0–130, प्लॉट सं0–297, रकबा–0.12 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण के आरोप की पुष्टि होती है। अतः मौजा–नर्रा, थाना सं0–88, खाता सं0–130, प्लॉट सं0–297 रकबा–0.12 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु अतिक्रमणकारी श्री भीम महतो, पिता– नाराण महतो, साकिन– नर्रा, पो0– नर्रा, थाना– चन्द्रपुरा, जिला– बोकारो को नोटिस निर्गत करें तथा दिनांक–20.05.2017 तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दें। निर्धारित समय तक यदि अतिक्रमणकारी ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो बलपूर्वक उनके संरचना को हटा दिया जाएगा तथा हटाने के क्रम में जो भी खर्च आएगा उसे अतिक्रमणकारी से वसूला जाएगा। 06.05.17 अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा।	

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2024.12.16 12:58:37 +05:30
Location: 192.168.1.33